

**नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
भिलाई-दुर्ग (छ.ग.)**

44 वीं छमाही बैठक सह-पुरस्कार वितरण समारोह
दिनांक 04 मार्च, 2017

कार्यसूची

- (1) सचिव, नराकास द्वारा स्वागत संबोधन एवं अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- (2) राजभाषा नियम-5 के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों/संचिकाओं पर जवाबी कार्रवाई हिंदी में करना।
- (3) राजभाषा नियम 8(4) के तहत कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों का रोस्टर बनाना तथा हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कार्मिक को विनिर्दिष्ट करना।
- (4) कार्यालयीन प्रयोग में आने वाले बोर्ड, नामपट्ट, मुहर एवं पत्रशीर्ष अनिवार्यतः द्विभाषी में बनाना।
- (5) सदस्य संस्थानों द्वारा अपने संस्थान के कार्मिकों हेतु प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यशाला/प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना।
- (6) कार्यालय के सभी कम्प्यूटरों को यूनिकोड सुविधायुक्त करना।
- (7) तिमाही प्रतिवेदन को समय पर समिति सचिवालय को भेजा जाना सुनिश्चित करना।
- (8) राजभाषा विभाग, मध्य क्षेत्र, भोपाल कार्यालय के निर्देशानुसार प्रस्तावित छत्तीसगढ़ के नराकास सचिवों का एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन नराकास, भिलाई द्वारा किया जाना।
- (9) सदस्य संस्थानों द्वारा नराकास स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
- (10) सदस्य संस्थानों द्वारा वार्षिक अंशदान राशि का समय पर भुगतान किया जाना।
- (11) अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।
- (12) अध्यक्षीय उद्बोधन।
